झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या– संचिका सं0 – 04/स0 भू0 राँची (JHALSA)–24/15.......1570......../रा0, राँची, दिनांक– 20-04-16

राज्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची।

विषयः– मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–15.03.2016 में मद संख्या–14 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राँची जिलांतर्गत नगड़ी अंचल के मौजा–आनी, थाना सं0–227, खाता सं0–30, 14 एवं 07, प्लॉट सं0–331, 364, 365, 366, कुल रकबा – 2.00 एकड़ (एच.ई.सी. लि0 से झारखण्ड सरकार को प्राप्त भूमि) न्याय सदन, झालसा के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के साथ निःशुल्क भू–हस्तांतरण के संबंध में।

आदेशः– **स्वीकृत।**

i) उपायुक्त, राँची प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।

ii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–04/स0 भू0 राँची (JHALSA)–24/15.........1570/रा0 राँची, दिनांक– 20-04-16

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
विषय से संबंधित मूल अभिलेख सं0–19/2015–16 संलग्न कर वापस किया जाता है।
अनु0–यथोपरि।

2. आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को उनके कार्यालय पत्रांक–168/रा0, दिनांक–15.01.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) एवं प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव